बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 428298
ग्रा0वि09(ख)BRDS-17/2015

पटना, दिनांक 13/06/2019

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक/
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **BRDS अंतर्गत नियोजित कर्मियों को अवकाश की देयता के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कतिपय जिलों से BRDS अंतर्गत नियोजित कर्मियों को अवकाश दिये जाने के प्रसंग में मार्गदर्शन की मांग की जा रही है ।

उल्लेखनीय है कि बिहार रुरल डेवलपमेंट सोसाईटी (BRDS) के 10वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सोसाईटी के तहत कार्यरत कर्मियों को निम्नलिखित रुप से अवकाश प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है:-

(i) **आकस्मिक अवकाश-** सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 12 दिन एवं सप्ताह में 6 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 16 दिन देय होगा,

(ii) **अर्जित अवकाश-** BRDS के प्रस्तावित HR Manual में एक वर्ष में 24 दिन अवकाश अर्जित करने एवं अधिकतम 36 दिन अवकाश संचित करने का प्रावधान है। जिसे संशोधित करते हुए अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमा यथावत 24 दिन एवं संचित करने की अधिकतम सीमा 36 दिन से बढ़ाकर 60 दिन की जाती है,

(iii) **मातृत्व अवकाश-** महिला कर्मियों को प्रथम दो संतान की सीमा तक प्रत्येक बार अधिकतम 180 दिन मानदेय सहित प्रसव अवकाश देय है, जिसका प्रसव/ गर्भपात/ गर्भस्राव की स्थिति में उपभोग किया जा सकेगा। गर्भपात/गर्भस्राव की स्थिति में इसकी अधिकतम सीमा छ: सप्ताह होगी, जो सरकारी अस्पताल/ मान्यता प्राप्त अस्पताल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकृत किया जायेगा ।

(iv) **पितृत्व अवकाश-** कंडिका-(iii) के अनुसार ही वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पुरूष कर्मियों को प्रथम दो संतान की सीमा के अधीन प्रत्येक बार 15 दिनों का पितृत्व अवकाश देय होगा,

(v) **अवैतनिक अवकाश-** किसी प्रकार का अवकाश शेष नहीं होने की स्थिति में कर्मियों को प्रति वर्ष विशेष परिस्थिति में अधिकतम 30 दिनों का अवैतनिक अवकाश अनुमान्य होगा।

(vi) उक्त सभी अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम पदाधिकारी Reporting Officer होंगे,

(vii) अवकाश से संबंधित उक्त सभी प्रावधान आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगी,

(viii) इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं है,

(ix) BRDS कर्मियों द्वारा दिये गये त्याग-पत्र को Notice Period (L4 and above- 2 Months, L5 and Below- 1 Month) के पश्चात स्वत: स्वीकृत माना जाएगा एवं बिना CEO, BRDS की अनुमति के किसी कर्मी का पुन: योगदान स्वीकार्य नहीं होगा।

विश्वासभाजन

(signature) 12/6

(संजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव